

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सत्रह'

[30/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 4910]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4910

परिशिष्ट 'अ'

रीवा संभाग अंतर्गत पंजीकृत गौशालाओं की सूची

क्र०	जिला	गौशाला का नाम	गौशाला की स्थिति
1.	रीवा	लक्ष्मण बाग गौशाला रीवा	क्रियाशील
2.	रीवा	बसामन मामा देवधाम गौशाला, पुरवार, वर्तमान नाम गायत्री चेतना केन्द्र, पुरवा, जिला रीवा	क्रियाशील
3.	रीवा	देवांचल गौशाला, बेलौंही, वि.ख. हनुमना, जिला रीवा	अक्रियाशील
4.	सतना	गौवंश विकास एवं दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट वि.ख. मझगवाँ	क्रियाशील
5.	सतना	श्री गौशाला सदवर्त कमेटी सतना।	क्रियाशील
6.	सतना	दयोदय पशु सेवा केन्द्र तिघरा वि.ख. उचेहरा	क्रियाशील
7.	सतना	रामसखेन्द्र गौशाला समिति बडा अखाडा वि.ख. मैहर	क्रियाशील
8.	सतना	श्री सदगुरु सेवा केन्द्र जानकीकुण्ड चित्रकूट वि.ख. मझगवाँ	क्रियाशील
9.	सतना	लक्ष्मी गौशाला पालदेव वि.ख. मझगवाँ	क्रियाशील
10.	सतना	केशव माधव गौसेवा संस्थान समिति बगहा वि०ख० सोहावल	क्रियाशील
11.	सतना	ललिताम्बा गौशाला समिति रमपुरवाधाम वि०ख० उचेहरा	क्रियाशील
12.	सतना	प्रेम पुजारी रामाश्रय दास गौशाला समिति नयागाँव चित्रकूट वि.ख. मझगवाँ	क्रियाशील
13.	सतना	माधवन गोपालन एवं गौसंरक्षण केन्द्र नारायणपुर वि०ख० नागौद	क्रियाशील
14.	सतना	स्व० श्री रमादेवी सिंह स्मृति गौशाला समिति सरमनपुर बांधा वि०ख० रामपुर बघेलान	अक्रियाशील
15.	सतना	श्री रावतपुरा सरकार गौवंश संरक्षण एवं शोध संस्थान श्रगारवन चित्रकूट, वि.ख. मझगवा	अक्रियाशील
16.	सतना	नरसिंह भगवान गौशाला समिति ग्राम खोरवार वि०ख० उचेहरा	अक्रियाशील
17.	सतना	स्वामी नीलकंठ गौशाला समिति रामपुर पाठा वि०ख० उचेहरा	अक्रियाशील
18.	सतना	युवा श्री गौशाला समिति पतौरा वि०ख० उचेहरा	अक्रियाशील
19.	सतना	सुरभि गौसंरक्षण एवं संवर्धन शाला इचौल वि०ख० उचेहरा	अक्रियाशील
20.	सतना	श्री कृष्ण गौशाला एवं जीव रक्षा केन्द्र रामस्थान वि०ख० सोहावल	अक्रियाशील
21.	सतना	सिध्दनाथ गौशाला एवं गौसंवर्धन केन्द्र आमा वि०ख० नागौद	अक्रियाशील
22.	सतना	सरदार पटेल गौवंश विकास एवं गौसंवर्धन केन्द्र सिंहपुर वि०ख० नागौद	अक्रियाशील
23.	सतना	प्रकृति गौविकास एवं गौसंवर्धन केन्द्र सिंहपुर वि०ख० नागौद	अक्रियाशील
24.	सतना	मकरंद गौसंरक्षण एवं गौसंवर्धन केन्द्र बंडी वि०ख० नागौद	अक्रियाशील
25.	सतना	गोविन्द गौसंरक्षण एवं गौसंवर्धन केन्द्र जसो वि०ख० नागौद	अक्रियाशील
26.	सतना	कान्हा गोपाल केन्द्र मझियारी वि०ख० नागौद	अक्रियाशील
27.	सतना	श्रीकृष्ण गौशाला समिति ताला वि.ख० अमरपाटन	अक्रियाशील
28.	सतना	श्रीराम गौशाला समिति रैकवार वि०ख० अमरपाटन	अक्रियाशील
29.	सतना	अभय गौशाला समिति अमरपाटन वि०ख० अमरपाटन	अक्रियाशील
30.	सतना	श्री रामराज महिला कृषि गौसंवर्धन केन्द्र त्योंधरा नं. 2 वि.ख. अमरपाटन	अक्रियाशील
31.	सतना	गोपालन गौशाला समिति सुलखवा वि०ख० रामनगर	अक्रियाशील
32.	सतना	गोपालन गौशाला समिति बढौरा वि०ख० रामपुर बघेलान	अक्रियाशील
33.	सीधी	शारदा गौशाला समिति, भेलकी, जिला सीधी	क्रियाशील
34.	सीधी	बालकदास गौशाला आश्रम, चौफाल जिला सीधी	क्रियाशील
35.	सीधी	सोनभद्र स्वदेशी गौशाला, सर्रा, चुरहट, जिला सीधी	क्रियाशील
36.	सिंगरौली	श्री गोपालदास गौसेवा आश्रम, ग्राम जमगढ़ी, वि.ख. बैदुन, जिला सिंगरौली	क्रियाशील
37.	सिंगरौली	श्रीराम गौसंवर्धन समिति, ग्राम बिरकुनिया, वि.ख. चितरंगी	क्रियाशील

उपसंचालक
म.प्र.गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4910

रीवा संभाग में वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक पंजीकृत गौशालाओं को दी गई आर्थिक सहायता का विवरण

क्र०	जिले का नाम	पंजीकृत कियाशाल गौशाला का नाम	वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक दिया गया अनुदान/ आर्थिक सहायता राशि रूपये
1.	रीवा	लक्ष्मण बाग गौशाला रीवा	2909860
2.	रीवा	बसामन मामा देवधाम गौशाला, पुरवार, वर्तमान नाम गायत्री चेतना केन्द्र, पुरवा, जिला रीवा	1544150
3.	सतना	गौवंश विकास एवं दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट	2771247
4.	सतना	गौशाला सदावर्त कमेटी सतना	1140921
5.	सतना	दयोदय पशु सेवा केन्द्र तिघरा	793342
6.	सतना	रासखेन्द्र गौशाला समिति बडा अखाडा मैहर	1481220
7.	सतना	सद्गुरु सेवा केन्द्र जानकीकुण्ड	2764734
8.	सतना	लक्ष्मी गौशाला पालदेव	486193
9.	सतना	केशव माधव गौसेवा संस्थान समिति बगहा	1665622
10.	सतना	ललिताम्बा गौशाला समिति उचेहरा	231735
11.	सतना	प्रेम मुजारी रामाश्रयदास गौशाला समिति चित्रकूट	850518
12.	सीधी	शारदा गौशाला समिति, भेलकी, जिला सीधी	351000
13.	सीधी	बालकदास गौशाला आश्रम, चौफाल जिला सीधी	294000
14.	सीधी	सोनभद्र स्वदेशी गौशाला, सर्रा, चुरहट, जिला सीधी	300000
15.	सिंगरौली	श्री गोपालदास गौसेवा आश्रम, ग्राम जमगढी, वि.ख.बैढन, जिला सिंगरौली	220320
16.	सिंगरौली	श्रीराम गौसंवर्धन समिति, ग्राम बिरकुनिया, वि.ख.चितरंगी	284580

उपसंचालक

म.प्र.गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय- वल्लभ भवन,

क्रमांक एफ 18-6/07/सात/2ए
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4/09/2008

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश,

विषय:- गौशालाओं के लिये भूमि आबंटन संबंधी नीति।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में पंजीयत गौशाला समिति की मांग एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर घरनोई एवं निस्तार की भूमि को छोड़कर एक घाम पंचायत में केवल एक गौशाला हेतु न्यूनतम एक और अधिकतम दस एकड़ तक भूमि गौशालाओं के लिये रुपये 1/- (एक रुपया) सांकेतिक शुल्क लेकर निम्न शर्तों के आधार पर अनुज्ञप्ति पर दी जा सकेगी:-

1. घरनोई एवं निस्तार की भूमि को छोड़कर अन्य शासकीय भूमि जिसकी विधि अनुसार गद परिवर्तित की जा सकती है ऐसी भूमि में से जिला गौपालन एवं पशु संवर्धन समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर एक घाम पंचायत में केवल एक गौशाला समिति को भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति दे सकेगा।
2. ऐसी अनुज्ञप्ति केवल उन्हीं गौशालाओं को दी जा सकेगी जो मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत हों।
3. संस्था के पास गौशाला में पंचायत क्षेत्र के ऐसे गौवंश (गाय, बछड़ा) रखे जावेंगे जिनका कोई स्वामी न हो, अशक्त, बीमार, वृद्ध हों। ऐसे कम से कम 50 गौवंशी पशु उपलब्ध हों।
4. गौवंश के जीवित पशु व मृत पशु से होने वाली आय गौशाला के खाते में जमा होगी और उसका व्यय गौशाला के उन्नयन पर किया जायेगा।
5. गौशाला के संचालन के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट व संस्था के वित्तीय स्थिति की जानकारी सुनिश्चित की जावे जिससे गौशाला का संचालन सुचारु रूप से हो सके।
6. गौशाला समिति का किसी बैंक में खाता हो तथा नियमित रूप से आडिट किया गया हो और गौशाला समिति के पास अधीसंरचना निर्माण हेतु अपनी पूंजी उपलब्ध हो।
7. भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति पंजीकृत गौशाला के नाम से की जा सकेगी।
8. भूमि का उपयोग केवल गौशाला एवं तत्संबंधी गतिविधियों के लिये ही किया जा सकेगा।
9. अनुज्ञप्ति प्राप्त भूमि को विक्रय, पट्टा, उप पट्टा, बंधक, किराये अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
10. भूमि की उपयोग अनुज्ञप्ति अस्थायी तौर पर केवल गौशाला के उपयोग मात्र के लिये ही होगी। मूलतः यह भूमि शासकीय सम्पत्ति रहेगी तथा खसरा अभिलेख इत्यादि में भूमिस्वामी के कालम में मध्यप्रदेश शासन गौशाला लिखा रहेगा।
11. अन्य आवश्यक शर्तें जो जिला कलेक्टर उचित समझे अधिसूचित कर सकेगा।
12. गौशाला के संचालन के लिये मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन 2007 अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना होगा।
13. किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी।
14. गौशाला समिति द्वारा किसी भी शर्त उल्लंघन की स्थिति में उसी समिति को भविष्य में प्रदेश में गौशाला हेतु भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति के लिये विचार में नहीं लिया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एल.एन.सोनी)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 4/09/2008

पू 0 क्रमांक एफ 18-6/07/सात/2ए
प्रतिनिधि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशु पालन विभाग।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Letter to collector